भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2873
दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

निर्भया कोष का आवंटन और उपयोग

2873. **श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः**

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्भया कोष हेतु आवंटित कुल धनराशि के सापेक्ष प्रयुक्त धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस कोष का उपयोग करके वास्तविक रूप से सृजित और कार्यात्मक की गई विशिष्ट सुरक्षा अवसंरचना (वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, सीसीटीवी नेटवर्क) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) आज की तिथि तक अप्रयुक्त और निष्क्रिय पड़ी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस कोष से वित्तपोषित पीड़ित क्षतिपूर्ति योजनाओं के संबंध में 'निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ और अन्य' मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की स्थिति क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): निर्भया कोष के तहत परियोजनाएं/योजनाएं मांग आधारित हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, निर्भया कोष के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सक्षम वित्तीय प्राधिकरणों द्वारा 7990.85 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसमें से 6703.02 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी/उपयोग की जा चुकी है। निर्भया कोष के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों अर्थात विदेश मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा कुछ परियोजनाएं राज्य-वार कार्यान्वित नहीं की जाती हैं। इसलिए, अनुमोदित परियोजनाओं के लिए राज्यों को जारी की गई/उपयोग की गई वर्ष-वार राशि

का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। निर्भया कोष की शुरुआत के बाद से परियोजनाओं के लिए जारी/उपयोग की गई राज्यवार राशि अनुलग्नक-I में दी गई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिनांक 01.04.2015 से निर्भया कोष के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर तथा महिला हेल्पलाइन योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर समेकित सहायता एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाता है तथा उन्हें तत्काल पुलिस सहायता, चिकित्सा सुविधा, कानूनी सहायता, परामर्श तथा मनोवैज्ञानिक सहायता जैसी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करते हुए 36 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 991 वन स्टॉप सेंटर कार्यशील हैं। इन केंद्रों के माध्यम से अब तक 15.20 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है। महिला हेल्पलाइन एक निःशुल्क चौबीसों घंटे उपलब्ध दूरसंचार सेवा है, जो 181 शॉर्ट कोड के माध्यम से संचालित होती है। यह सेवा हिंसा से प्रभावित महिलाओं को रेफरल प्रणाली के माध्यम से आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराती है। वर्तमान में महिला हेल्पलाइन 35 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में इस योजना में शामिल होने का निर्णय किया है। डब्ल्यूएचएल के माध्यम से अब तक 3.16 करोड़ फोन कॉल्स का निस्तारण किया जा चुका है तथा 1.04 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। वन स्टॉप सेंटर एवं महिला हेल्पलाइन से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी मिशन शक्ति डैशबोर्डः https://missionshakti.wcd.gov.in. पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, निर्भया निधि के अंतर्गत सीसीटीवी नेटवर्क के लिए कोई विशेष परियोजना नहीं है। हालांकि, सीसीटीवी को निर्भया कोष के तहत कई परियोजनाओं में शामिल किया गया है, जैसे गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सुरक्षित शहर परियोजना, एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस), कोंकण रेलवे स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली, रेल मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित वीडियो निगरानी तंत्र के साथ एकीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस), मणिपुर सरकार के माध्यम से मणिपुर में 16 महिला बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना क्रियान्वित की गई, पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित निर्भया निधि का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर सीसीटीवी कैमरे लगाना और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से सिक्किम राष्ट्रीयकृत परिवहन (एसएनटी) की 100 बसों में सीसीटीवी लगाना शामिल है।

(घ): निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ मामले से रिट याचिका (सी) संख्या 565/2012 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने लैंगिक उत्पीड़न/अन्य अपराधों की पीड़ितों/पीड़ितों के लिए एक मुआवजा योजना, 2018 का मसौदा तैयार किया। गृह मंत्रालय ने नालसा द्वारा तैयार की गई योजना को 28.06.2018 के अपने पत्र के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया था। समान अपराधों के पीड़ितों के लिए

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित मुआवजे की मात्रा में असमानता को देखते हुए, भारत सरकार ने अक्टूबर 2015 में केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (सीवीसीएफ) दिशानिर्देश और जुलाई 2016 में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर उपलब्ध हैं। केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (सीवीसीएफ) योजना के तहत, 2016-17 में सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को एकमुश्त अनुदान के रूप में 200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है, ताकि वे अपने-अपने राज्य पीड़ित मुआवजा योजना (वीसीएस) की सहायता कर सकें।

अनुलग्नक-I

'निर्भया कोष का आवंटन और उपयोग' के संबंध श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा पूछे गए दिनांक 12.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2873 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजना के प्रारंभ से अब तक जारी एवं उपयोग की गई राशि (करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	147.70
2	अरुणाचल प्रदेश	63.63
3	असम	145.62
4	बिहार	178.29
5	छत्तीसगढ	137.37
6	गोवा	23.53
7	गुजरात	288.11
8	हरियाणा	102.94
9	हिमाचल प्रदेश	57.89
10	जम्मू और कश्मीर	61.35
11	झारखंड	82.12
12	कर्नाटक	602.20
13	केरल	146.41
14	मध्य प्रदेश	320.71
15	महाराष्ट्र	361.31
16	मणिपुर	58.54
17	मेघालय	52.78

18	मिजोरम	62.11
19	नागालैंड	90.28
20	ओडिशा	196.97
21	पंजाब	97.63
22	राजस्थान	237.09
23	सिक्किम	28.13
24	तमिलनाडु	448.17
25	तेलंगाना	318.65
26	त्रिपुरा	31.79
27	उत्तर प्रदेश	746.26
28	उत्तराखंड	72.11
29	पश्चिम बंगाल	171.82
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15.90
31	चंडीगढ़	81.36
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	20.25
33	दिल्ली	485.47
34	लद्दाख	6.34
35	लक्षद्वीप	9.22
36	पुदुच्चेरी	20.73
